संख्या-10/2022/43/24/8/76/का-प्रसको/2022

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण समन्वय कोष्ठक लखनऊ: दिनांक: 31 मई, 2022

विषय: विभाग के कार्मिकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि विभिन्न भर्ती आयोगों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जा रही है ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में सीधी भर्ती के साथ ही प्रोन्नत कार्मिक विभिन्न विभागों में कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। उक्त कार्मिकों द्वारा पदीय दायित्वों के सम्यक निर्वहन एवं इष्टतम उत्पादकता (Optimum Productivity) हेतु इन्हें अपनी सेवा के आरम्भ में ही सम्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है

2- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चयन के उपरांत विभाग में योगदान देने वाले समूह 'ख' एवे 'ग' के कार्मिकों हेतु आधारभूत प्रशिक्षण (Induction Training) की कार्य-योजना विभाग के स्तर पर तैयार कर अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण कराया जाय। इस संबंध में विभाग द्वारा संबंधित कार्मिकों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये प्रशिक्षण के लिए यदि विभाग में प्रशिक्षण संस्थान की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो तो विभाग में ही प्रशिक्षण कराया जाय, अन्यथा की स्थिति में अन्य विभागों के प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर संबंधित कार्मिकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

यह अपेक्षा है कि सभी विभाग उक्तानुसार कार्यवाही करके अनुपालन आख्या कार्मिक विभाग को संलग्न **प्रारूप में दिनांक 30.06.2022** तक उपलब्ध करायेंगे।

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव

संख्या- 10/2022/43/24/8/76/का-प्रसको/2022(1)तददिनांक

प्रतिलिपि समस्त राज्य प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in/

(संलग्नक शासनादेश संख्या-10/2022/43/24/8/76/का-प्रसको/2022)

प्रारूप

विभाग	समूह ख/ग के कैडर	आधारभूत प्रशिक्षण हेतु अवधि	प्रशिक्षण संस्था का नाम जहां प्रशिक्षण किया जाना प्रस्तावित है।

http://shasanadesh.up.gov.in/

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ से सत्यापित की जा सकती है।